न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—03/2016 (2016/00049) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भज्जा पिता उदा गुर्जर निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—मोडा पिता उदा गुर्जर निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—मांगु पिता नाथु गुर्जर निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 25.02.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बाड़ी पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सामलाती आराजी संख्या 606/3 रकबा साडे आठ बीघा भूमि साबिक जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 में खाता रंख्या 141 पर दर्ज रेकार्ड थी। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 व प्रार्थीगण के सामलाती की आराजी संख्या 606/1क रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा भुमि खाता संख्या 174 मैं दर्ज रेकार्ड थी। तथा इसी प्रकार मृतक खातेदार देवा पिता रेवत गुर्जर के खातेदारी की साबिक आराजी संख्या 606/2 रकबा 10 बीधा भुमि खाता संख्या 93 मै दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण में जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2059 प्रस्तुत की है। प्रार्थनापत्र की कलम नम्बर 1 व 2. मे अकित साबिक आराजियात के मुल साबिक नम्बर 606 थे जिस मे से प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व खातेदार देवा पिता रेवत गुर्जर को अलग अलग रूप से आवंटन की गई तथा आवंटन के समय मौके पर साबिक नक्शे मै तरमीम कर मौके पर कब्जा सिपुर्द किया गया वक्त आवंटन से ही प्रार्थीगण एंव विपक्षी अपनी अपनी भूमि पर काबिज होकर कास्त कर रहे हैं। भु—प्रबन्ध होने पर साबिक आराजियात संख्या 606/3 के नवीन नम्बर 2135 रकबा 0.65 है. व आराजी संख्या 2136 रकबा 1.19 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.84 है0 तथा साबिक आराजी संख्या 606/2 रकया 10 बीघा के नवीन नम्बर 2137 रकबा 2.16 है0 तथा साबिक आराजी संख्या 606/1क रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा के नवीन नम्बर आराजी संख्या 2130 रकबा 0.94 है0, 2131 रकबा 0.49 है0, 2132 रकबा 0.50 है0, 2133 रकबा 1.30 है0, 2134 रकबा 0.68 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.91 है. कायम हुये प्रमाण नकल मीलान क्षेत्रफल एव हाल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। भु—प्रबन्ध के दोरान राजस्व कर्मचारियो एवं अधिकारियो को राजस्व नक्शे में गलत रूप से ईन्द्राज करने का कोई विधिक अधिकार नही होते हुये भी प्रार्थीगण की साबिक आराजियात के नवीन नक्शे को साबिक नक्शे के अनुरूप तरमीन नही कर गलत नक्शा कायम कर दिया है प्रार्थीगण की साबिक आरायिजात साबिक नक्शे में साबिक आराजी संख्या 606/1क व 606/2 के मध्य फट था जिस [illegible] नक्शे में स्पष्ट रूप से तरमीम है लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान नक्शा गलत रूप से त[illegible] क[illegible] दिया जिसे पुनः साबिक नक्शे अनुरूप ही दुरस्त कराने के प्रार्थीगण अधिक[illegible]। अतः सादर [illegible]ना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर साबिक आ[illegible] 2, 606/1क [illegible] नवीन नम्बर जिनका अंकन कलम नम्बर 4 मैं किया गया है को [illegible] नक्शै अनुरूप तरमीम [illegible] हुए नवीन नम्बर को साबिक नम्बरो के अनुसार दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर के नाम प्रदान कराया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:54:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 22.08.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। विपक्षी कमांक 2 की और से प्रकरण में जवाब के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली हैं।

तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम बाड़ी के आराजी संख्या 2130 रकबा 0.94 है0, आराजी संख्या 2131 रकबा 0.459 है0, आराजी संख्या 2132 रकबा 0.50 है0, आराजी संख्या 2133 रकबा 1.30 है0, आराजी संख्या 2134 रकबा 0.68 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.91 है0 भूमि खातेदार मांगु पिता नाथु, भज्जा, मोडा पिता उदा सायरी सोसर पुत्रीयां उदा गुर्जर के नाम दर्ज रेकार्ड है एवं आराजी संख्या 2135 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 2136 रकबा 1.19 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.84 है0 खातेदार भज्जा, मोडा पिता उदा गुर्जर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर एक चक होकर उपरोक्त खातेदारो का शामलाती कब्जा है। आराजी संख्या 2137 रकबा 2.16 है0 भूमि भैरूलाल उर्फ दिनेशचन्द्र मु. देवागुर्जर नाबावि सरंक्षक प्राकृतिक वली खुद के नाम दर्ज रेकार्ड है जिस पर मौके पर कब्जा खातेदार का ही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण आराजी संख्या 2130, आराजी संख्या 2131, आराजी संख्या 2132, आराजी संख्या 2133, आराजी संख्या 2134 कुल किता 5 कुल रकबा 3.91 है0 भूमि खातेदार मांगु पिता नाथु, भज्जा, मोडा पिता उदा सायरी सोसर पुत्रीयां उदा गुर्जर के नाम दर्ज रेकार्ड है उसी अनुसार काबिज है एवं आराजी संख्या 2135, आराजी संख्या 2136, कुल किता 2 कुल रकबा 1.84 है0 खातेदार भज्जा, मोडा पिता उदा गुर्जर के नाम दर्ज है उसी अनुसार काबिज है एवं साबिक नक्शे के मुताबिक नवीन नक्शे में दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के आस पास बिलानाम बिलानाम भूमि को अपने की ओर निकलवाना चाहता है जो उचित नही है। चुकिं प्रार्थीगण के खाते में जितना रकबा साबिक रेकार्ड में था उतना ही रकबा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। रेकार्ड में दर्ज रकबे अनुसार ही प्रार्थीगण का कब्जा है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण के नाम साबिक रकबे के अनरूप वर्तमान राजस्व रेकार्ड, नक्शा एवं मौका सही पाया गया ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.02.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:54:18 IST
Reason: SelfAttested